

कार्यालय पंचायत समिति शेरगढ जिला जोधपुर (राज.)

क्रमांक:-पंसशे/संस्थापन/2015-16/ 01

दिनांक 05/04/16

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

पंचायत समिति शेरगढ

विषय:- तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 के अंतर्गत नियुक्त अध्यापको को नियमित/निर्धारित वेतनमान दिये जाने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के पत्रांक 13 दिनांक 04.04.2016 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लैख है कि श्रीमान उपायुक्त (प्रा.शि.) ग्रामिण विकास एवं पंचायत राज विभाग जयपुर राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ 915(235) परावि/प्रा.शि./पार्ट/2015/345 दिनांक 30.03.2016 एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक जीपजो/संस्था/2015-16/13 दिनांक 04.04.2016 के आदेश अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 के अंतर्गत नियुक्त अध्यापको को नियमित/निर्धारित वेतनमान दिये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। इस संबध में आपको आदेशित किया जाता है कि आप उक्त शिक्षको का नियमानुसार वेतन नियमितिकरण/निर्धारण कर अद्यौहस्ताक्षकर्ता को सूचित करे ताकि उच्चाधिकारियों के आदेशो की पालने की जा सके।

(2)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति शेरगढ (जोधपुर)

क्रमांक :- पंसशे/संस्थापन/2015-16/02-05

दिनांक 05/04/16

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान उपायुक्त (प्रा.शि.) ग्रामिण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर
3. श्रीमान अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर
4. आदेश पत्रावली

(2)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति शेरगढ (जोधपुर)

(2)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति शेरगढ (जोधपुर)